नगर निकायों के लिए खुला खजाना

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के लिए खजाना खोल दिया है। इसके तहत अब राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति की 7.5 फीसदी राशि स्थानीय निकायों को दी जाएगी। इनमें 70 फीसदी हिस्सा पंचायतों को और 30 फीसदी नगर निकायों को मिलेगा। हर वर्ष मिलने वाली अनुदान की इस राशि से ये संस्थाएं पेयजल और स्वच्छता सहित अन्य विकास कार्यों को पूरा करेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने वित्त आयोग की डा.डी.आर.मेहता कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.5 फीसदी राशि पंचायत और नगर निकायों को मिलेगी। अब तक यह मात्र तीन फीसदी के करीब था।

चालू वित्तीय वर्ष से ही राशि सिफारिश के अनुसार दी जाएगी, जो वर्ष 2014-15 तक जारी रहेगा। इस वर्ष के लिए सरकार का कुल प्रोजेक्टेड राजस्व प्राप्ति 7 हजार 226 करोड़ है। ऐसे में इस वर्ष लगभग 233 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों के बीच बांटे जाएंगे। राशि वितरण के लिए भी पैमाना तय कर दिया गया है।

उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र भी तय किए गए हैं, जिनमें पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, मैला ढोने की प्रथा का अंत, जलापूर्ति और पार्किंग व्यवस्था शामिल है।